कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।

ईमेल– cfotwl.ukfs@gmail.com

पत्रांक– न–2/सीएफओ–PO- NTRI/2023 दिनांक–दिसम्बर 22, 2023।

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
HOLY ANGEL SCHOOL
VILLAGE- DEWALI, POST AND TEHSIL- KIRTINAGAR,
Distt- Tehri Garhwal

विषयः– अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या– 37883727, दिनांक– 17.12.2023 के परिपेक्ष में इस कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढवाल द्वारा आपके प्रश्नगत स्थल **"HOLY ANGEL SCHOOL"** ग्राम देवली, पोस्ट व तहसील कीर्तिनगर, आमसेरा, जनपद टिहरी गढवाल का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या पत्रांक– नि0प्री0–फा0स0/23, दिनांक– दिसम्बर, 19, 2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिसमें निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. प्रश्नगत स्थल चौरास रोड ग्राम देवली में मुख्य मार्ग पर स्थित है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्थल में स्कूल भूतल सहित चार तलों में निर्मित है, जिसमें प्रत्येक तल में 04–04 कमरे हैं।
3. प्रश्नगत स्कूल तक अग्निशमन वाहन पहुंच सकता है।
4. प्रश्नगत स्कूल के ऊपर से किसी प्रकार की हाईटेंशन विद्युत लाईन नही गुजर रही है।
5. प्रश्नगत स्कूल में ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता– 07 अदद एवं सी.ओ.2 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता– 01 अदद का प्रविधान किया गया है।
6. प्रश्नगत स्कूल में होजरील 02 अदद का प्राविधान किया गया है। जो निरीक्षण की तिथि को सन्तोषजनक एवं कार्यशील दशा में पायी गयी। प्रेशरयुक्त पानी की उपलब्धता हेतु पम्प (इलैक्ट्रिक मोटर) 02 एचपी का प्राविधान किया गया है।
7. प्रश्नगत स्कूल में पानी का टेरिस टैंक (प्लास्टिक की टंकियॉ) क्षमता 5,000 लीटर एवं भूमिगत टैंक क्षमता 25,000 लीटर का प्राविधान किया गया है। जो निरीक्षण की तिथि को पानी से भरे पाये गये।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्कूल में फायर सर्विस का टेलीफोन नं0 01376–233611, धुम्रपान निषेध बोर्ड, पुलिस कंट्रोल रुम का नं0–100, 112 तथा एम्बुलेन्स का टेलीफोन नं0 108 अकित किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें कार्यशील एव सन्तोषंजनक दशा में पायी गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त **प्रश्नगत स्थल का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है,** साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. परिसर के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC 2016 के Part- 04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख–रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।
3. परिसर के सभी निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग व सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।
4. प्रश्नगत स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. परिसर में विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास, निकास मार्ग एवं सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रश्नगत स्कूल का प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंयूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क–(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं, 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण जमा कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

क्रमशः– 02

साथ ही उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग 03 के आदेश संख्या– 342(1)/XX–3/2021–2(39)/2006, दिनांक–29, नवम्बर, 2021 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रत्येक छः माह में प्रश्नगत स्कूल/परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र (Self Declaration Certificate) प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

7. प्रश्नगत स्कूल की उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील एवं उच्च स्तर का बनाये रखने के साथ ही कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं संचालन की जानकारी होना आवश्यक होगा।
8. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव एवं शर्तो का पालन किए जाने एवं प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल की संस्तुति आख्या के अनुसार प्रश्नगत स्थल में उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल **"HOLY ANGEL SCHOOL"** ग्राम देवली, पोस्ट व तहसील कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल को दिनांक– 22, दिसम्बर, 2023 से 21, दिसम्बर, 2026 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अतः अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

22.12.23

(संजीवा कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-टिहरी गढ़वाल।